

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-02

अधिसूचना

19 नवम्बर, 2025 ई0

संख्या-641/VII-A-2/2025/137-उद्योग/2005 टी0सी0-अधिसूचना संख्या-2381/सात-औ0वि0-1/2005-137 उद्योग/2005 दिनांक 07.07.2005 के द्वारा राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- अधिसूचना संख्या-2381, दिनांक 07.07.2005 के प्रस्तर-02 (र) में उल्लिखित कि राज्य सरकार की अधिसूचना से पांच सदस्य नामित किये जायेंगे, के क्रम में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) में निम्नलिखित चार सदस्यों को 02 वर्ष के लिये नामित करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	नाम	विभाग/संस्था
1	सदस्य, उत्तराखण्ड आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण	विभागीय
2	सदस्य, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग, उत्तराखण्ड	विभागीय
3	श्री गौरव अग्रवाल पुत्र श्री अरुण अग्रवाल	उद्योगपति, हल्द्वानी
4	श्री अनिल भाटी	उद्योगपति, रुद्रपुर

3- उपरोक्त प्रस्तर-2 में नामित सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतया 02 वर्ष का होगा, किन्तु राज्य सरकार किसी भी समय नामित सदस्यों के कार्यकाल में परिवर्तन कर सकती है।

आज्ञा से,
विनय शंकर पाण्डेय,
सचिव।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 29-11-2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 औ0वि0/15-13-01-2026-200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)